(3)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–21/2012–13

प्राणी राज जायसवाल बनाम दानी राज जायसवाल

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

28/5/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2010–11 में दिनांक 06.07.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
पटना सदर	दीघा	1	2001	4528	$7\frac{1}{2}$धूर

इस वाद के आवेदक श्री प्राणी राज जायसवाल, पिता स्व0 जगदीश प्रसाद जायसवाल एवं विपक्षी दानी राज जायसवाल सौतेल भाई है।

(1) जगदीश प्रसाद जायसवाल की दो पत्नियाँ थी। प्रथम पत्नी के पुत्र दानी राज जायसवाल (विपक्षी) एवं द्वितीय पत्नी से पुत्र प्राणी राज जायसवाल (आवेदक) हुए

(2) जगदीश प्रसाद जायसवाल के द्वारा दिनांक 24.06.1965 की डीड से दीघा मौजा के खाता नं0 2001 खेसरा नं0 4528 रकवा 15 धुर भूखण्ड की खरीद की गयी तथा उस पर मकान का निर्माण कराया गया।

(3) जगदीश प्रसाद जायसवाल अपने पीछे दो वैध उतराधिकारी पुत्रों को छोड़कर दिनांक 31.01.2009 को मृत्यु को प्राप्त हो गये।

(4) पिता के जीवन काल में ही दोनों पुत्रों के बीच वर्ष 1998 में विवादित सम्पति का आधा–आधा बंटवारा हो चुका था। आवेदक अपने परिवार एवं पिता के साथ अपने आधे हिस्से के मकान में रहते थे।

(5) विपक्षी दानी राज जायसवाल के द्वारा अपने आधे हिस्से $7\frac{1}{2}$धूर का दाखिल खारिज पूर्व में ही करा लिया था। शेष आधे हिस्से $7\frac{1}{2}$धूर की जमाबंदी पिता जगदीश प्रसाद जायसवाल के जमाबंदी सं0 $\frac{5848}{35}$ पर कायम थी। आवेदक के द्वारा उक्त आधे हिस्से $7\frac{1}{2}$धूर का दाखिल खारिज अभी अपने नाम से नहीं कराया गया था।

(6) आवेदक जब अपने ससुराल भागलपुर गये हुए थे तो उसकी अनुपस्थिति में विपक्षी ताला तोड़कर आवेदक के मकान में घुस गये एवं

उस पर अपना कब्जा जमा लिया। आवेदक के दिनांक 09.04.2009 को वापस आने पर विपक्षी के द्वारा एक फर्जी बंटवारानामा तैयार कर आवेदक से जबरदस्ती उस पर हस्ताक्षर करवाया गया। आवेदक के द्वारा दिनांक 09.04.2009 को दीघा थाना में परिवाद पत्र दिया गया, परन्तु थाना के द्वारा उसे कोई पावती नहीं दी गयी तथा मामले को आपस में सुलझाने अथवा व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गयी। आवेदक के द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्यायालय में दिनांक 15.04.2009 को सूचना पत्र सं0 1026/09 दाखिल किया गया।

(7) दिनांक 12.04.2009 के फर्जी बंटवारानामा के आधार पर विपक्षी दानी राज जायसवाल के द्वारा $7\frac{1}{2}$धूर भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु पटना सदर अंचल में आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पिता के नाम से पहले 15 धूर की रसीद कटती थी, जिसमें से बंटवारा के आधार पर आधे हिस्से $7\frac{1}{2}$धूर की रसीद पूर्व से आवेदक दानी राज जायसवाल के नाम से रसीद पूर्व से कट रही है, जिसकी जमाबंदी सं0 17429 है। अब आवेदक का कहना है कि शेष जमीन भी उन्हें मिल गयी है, अतः दानी राज जायसवाल एवं प्राणी राज जायसवाल दोनों भाईयों को सुचित कर अनापति प्राप्त होने पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जा सकती है। इस वाद के आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर के समक्ष उपस्थित होकर आपति दायर की गयी तथा आपति के आलोक में दिनांक 10.09.2009 को दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

(8) विपक्षी दानी राज जायसवाल के द्वारा दिनांक 28.10.2009 को पूर्व के आदेश को वापस लेने हेतु आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन पर अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा उक्त वाद को पुनः Re-open कर दिया गया। इस आशय की सूचना मिलने पर आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा इस वाद के आवेदक का पक्ष सुने बिना फर्जी बंटवारानामा के आधार पर दानी राज जायसवाल के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(9) अंचलाधिकारी, पटना सदर के अपने ही आदेश का पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं था, परन्तु अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पुनरीक्षण वाद के तहत अपने ही आदेश के विरूद्ध सुनवाई की गयी।

(10) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 में दिनांक 26.02.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2010–11 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज के नियमों एवं वैधानिक बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(11) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील सं0 04/2010–11 में पारित दिनांक 06.07.2011 के आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) जगदीश प्रसाद जायसवाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र

(2) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्यायालय में दाखिल सूचना पत्र सं0 1026/09

(3) आवेदक के द्वारा मुखिया को दिया गया दिनांक 21.07.2009 का आवेदन

(4) आवेदक के द्वारा सरपंच को दिनांक 21.07.2009 का दिया गया आवेदन

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 का अभिलेख

विपक्षी का कहना है कि

(1) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2009–10 में दिनांक 06.07.2011 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा यह पुनरीक्षण वाद रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी के पिता के द्वारा 24.06.1965 के निबंधित केवाला से क्रय की गयी थी। प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर पंचों के समक्ष दिनांक 12.04.2009 को दोनों भाईयों के बीच एक बंटवारा हुआ था। उक्त बंटवारानामा की शर्ते दोनों भाईयों को मान्य थी। इसी बंटवारानामा के आधार पर विपक्षी के नाम से विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(3) आवेदक का यह कहना कि दोनों भाईयों के बीच वर्ष 1998 में ही बंटवारा हुआ था, गलत है। दोनों भाईयों के बीच बंटवारा पिता के मृत्यु के पश्चात दिनांक 12.04.2009 को हुआ। विवादित भूखण्ड पर इस आवेदक का कभी भी दखल–कब्जा नहीं था, न हीं आवेदक के नाम से इसका दाखिल खारिज हुआ था।

(4) आवेदक का यह कहना गलत है कि विपक्षी के द्वारा ताला तोड़ कर उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। यदि ऐसी घटना घटित हुई थी तो आवेदक के द्वारा इसके लिए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी।

(5) विपक्षी के द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य सामने आते है।

(1) इस वाद के विपक्षी दानी राज जायसवाल के द्वारा दिनांक 20.07.2009 को अंचलाधिकारी, पटना सदर को इस आशय का आवेदन

दिया गया कि पिता के नाम से विवादित भूखण्ड 15 धुर के लिए कायम जमाबंदी सं0 5848/2 मे आधा हिस्सा $7\frac{1}{2}$धूर का दाखिल खारिज दिनांक 29.03.2009 को उनके नाम से हो गया है। पुनः 12.04.2009 के बंटवारानामा के आधार पर शेष $7\frac{1}{2}$धूर के दाखिल खारिज का अनुरोध किया गया।

राजस्व कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया गया कि आपसी बंटवारा के आधार पर पूर्व से आवेदक दानी राज जायसवाल के नाम से $7\frac{1}{2}$धूर की जमाबंदी 17429 कायम है तथा रसीद कट रही है।

विपक्षी दानी राज जायसवाल के आवेदन तथा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विवादित 15 धुर भूखण्ड को लेकर पहले दोनों भाईयों के बीच दिनांक 29.03.2009 से पूर्व कोई बंटवारा हुआ था, जिसके आधार पर विपक्षी दानी राज जायसवाल के नाम पर दिनांक 29.03.2009 को $7\frac{1}{2}$डी0 के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

अतः विपक्षी का यह कहना कि दोनों भाईयों के बीच पिता की मृत्यु के पश्चात दिनांक 12.04.2009 को बंटवारा हुआ था मान्य नहीं है।

(2) विपक्षी दानी राज जायसवाल के द्वारा दिनांक 20.07.2009 को दिनांक 12.04.2009 के बंटवारानामा के आधार पर शेष $7\frac{1}{2}$डी0 के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया। उक्त वाद में प्राणी राज जायसवाल के उपस्थित होकर आपति दिये जाने पर दिनांक 10.09.2009 को आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

दानी राज जायसवाल के द्वारा दिनांक 10.09.2009 के आदेश को वापस लेने हेतु आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक 09.12.2009 को अभिलेख Re-open करने का आदेश दिया गया तथा दाखिल खारिज $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षण वाद के तहत सुनवाई कर दिनांक 26.02.2010 को पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए दानी राज जायसवाल के नाम से नामांतरण की स्वीकृति दे दी गयी।

दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 में पारित आदेश के आलोक में निम्न तथ्य विचारणीय है।

(क) बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि दाखिल खारिज के पूर्व सभी संबंधित पक्षों को सहमति प्राप्त कर ली जाय। प्रश्नगत मामले में इस वाद के आवेदक प्राणी राज जायसवाल के द्वारा आपति दायर की गयी, जिसके आधार पर अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक 10.09.2009 को नामांतरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा आवेदक का आवेदन निष्पादित करते हुए, अभिलेख की कार्यवाही

पूर्ण कर दी गयी थी।

(ख) आवेदक प्राणी राज जायसवाल यदि दिनांक 10.09.2009 के आदेश से क्षुब्ध थे तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा अपील दायर नहीं कर अंचलाधिकारी, पटना सदर को अपना आदेश वापस लेने/उसका पुनरीक्षण करने हेतु आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदक का ऐसा कोई आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें अपने आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने को सलाह दी जानी चाहिए थी, परन्तु अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा ऐसा नहीं कर अपने ही पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए दानी राज जायसवाल के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

अंचलाधिकारी, पटना सदर को अपने ही आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई कर अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा आदेश पारित किया जाना पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं अवैध है।

(ग) दाखिल खारिज का मुख्य आधार दखल–कब्जा होता है। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा विवादित भूखण्ड पर दखल–कब्जा के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। अंचलाधिकारी, पटना सदर के दिनांक 26.02.2010 के आदेश में भी यह तथ्य कहीं पर अंकित नहीं किया गया है कि विवादित भूखण्ड पर दानी राज जायसवाल दखल–कब्जा है। दखल–कब्जा की बिना जाँच कराये ही दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी है।

(घ) इतना ही नहीं अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बहार जाना दिनांक 12.04.2009 के तथाकथित बंटवारामा को प्रमाणित एवं सही घोषित कर दिया गया, जबकि इस प्रकार के बंटवारानामा की वैधता एवं प्रमाणिकता सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही निर्णित हो सकती है।

(3) इस पुनरीक्षण वाद में यह बिन्दु विचारणीय नहीं है कि दिनांक 12.04.2009 का बंटवारानाम वैध है अथवा नहीं, उसकी वैधता की जाँच सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही की जा सकती है। पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को मात्र यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है अथवा नहीं।

प्रस्तुत वाद में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 में नियमों की निम्नानुसार अवहेलना की गयी है।

(क) विवादित भूखण्ड पर दखल–कब्जा के बिन्दु पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। दखल–कब्जा, दाखिल खारिज का मुख्य आधार है।

(ख) बंटवारानामा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब सभी पक्ष सहमत हों। इस मामले में एक पक्ष को आपति के बावजूद दाखिल–खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(ग) अंचलाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह विवादित बंटवारानामा को प्रमाणिक एवं वैध घोषित करें, परन्तु प्रस्तुत मामले में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अपने स्तर से विवादित बंटवारानामा को सही एवं वैध ठहरा दिया गया है।

(घ) अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद में एक बार आदेश पारित करने के बाद उन्हें यह अधिकार नहीं है कि उस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करें। प्रस्तुत मामले में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई कर आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं अवैध है।

(4) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 में दिनांक 26.02.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध जब भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील सं0 04/2010–11 दायर की गयी तो भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा पारित आदेश में उपर्युक्त त्रुटियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा उन त्रुटियों को नजर अंदाज करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर का दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2010–11 में दिनांक 06.07.2011 को पारित आदेश विधि सम्मत नहीं कहा जायेगा।

सम्यक विचारोपरान्त दाखिल खारिज अपील वाद सं0 04/2010–11 में दिनांक 06.07.2011 को पारित आदेश तथा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{381}{1}$ वर्ष 2009–10 में दिनांक 26.02.2010 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर एवं अंचलाधिकारी, पटना सदर को भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/5/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

8/5/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना